न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर
बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 35/2020 निर्णय दिनांक 08.04.2021

1. मैसर्स लोहिया आर्गेनिक फर्मस एण्ड बायो प्रा. लि. जरिये निवासी एस. 569 द्वितीय फ्लोर ग्रेटर कैलाश द्वितीय नई दिल्ली जरिये अधिकृत प्रतिनिधि नरेश पुत्र बंशीधर जाति अग्रवाल साकिन गोपेश्वर बस्ती बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

.... वादी

बनाम

1. श्री रामप्रकाश पुत्र श्री रामलाल जाति ओड राजपूत निवासी बहरीपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री अन्तरचन्द जाति ओड राजपूत निवासी बहरीपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री रणजीतसिंह निर्वाण अभिभाषक वादीगण।
2. राज्य की औंर से पैरोकार राज
3. प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अनुपस्थित एक तरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक :– 08.04.2021

वाद के विनिश्चय के लिये संक्षेप में आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत् खात तक्सीम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय मे दिनांक 31.12.2020 को प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि आराजी खसरा संख्या 82 जिसका क्षेत्रफल 6.32 हैक्टर है, जो ग्राम सालासर तहसील कोलायत में स्थित है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा सयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से आराजी को विकसित करने, काश्त करने से कई बार कठिनोईयों का सामना करना पड़ता है तथा पक्षकारानें के मध्य आपस मे मन मुटाव भी रहता है ऐसी स्थिति मे वादी ने प्रतिवादीगणों को कई बार कहा की तहसील मे चलकर खाता विभाजन करवा लिया जावें। लेकिन वे स्पष्ट रूप से मना हो गये। तब वादी ने यह वाद लेकर न्यायालय हाजा में आना पड़ा। वादी के वाद को स्वीकार कर विभाजन की डिग्री वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ साबित कर विभाजन कर वाद के संलंगन नजरी नक्शा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर डिग्री जारी की जावें।

Scanned with CamScanner

2. इस वाद के प्रतिवादी को सम्मन बनाम मुदायलाह कायमी तनकियात जारी किया गया। सम्मन की तामिल होने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल मे लायी गयी।

3. योग्य अभिभाषक वादी ने न्यायालय मे प्रार्थना की गयी कि विवादित भूमि एक सामान है तथा नजरी नक्शों के अनुसार विभाजन किया जाता है तो किसी भी को कोई हानी नही है। क्योंकि मुताबिक नजरी नक्शा के पक्षकार अपनी-अपनी आराजी पर काबिज है अनुतोष योग्य अभिभाषक वादी मंजुर किया जाता है विभाजन की डिग्री पर उन्हे सुना गया तथा पत्रावली का आधोपोत अवलोकन किया गया। सम्वत् 2072 से 2075 ग्राम सालासार की जमाबन्दी जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में उपलब्ध है के अवलोकन से जाहिर आता है कि विवादित भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 इन्द्राजित खातेदार काश्तकार है भूमि का वर्गीकरण बंजड पाला अंकित है जो एक सामन है जिसके खात विभाजन में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नही है तहसीलदार लैण्ड होल्डर की विभाजन किये जाने मे कोई उजर आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

परिणाम स्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार विभाजन की डिग्री जारी की जाती है।अतः वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर प्रथक-प्रथक खाता कायम कर लगान कायम कर खात विभाजन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व कोलायत को निर्णय की प्रति संलगन नक्शा की प्रति प्रेषित की जावें पर्चा डिग्री जारी है एवं डिग्री के संलगन की प्रति प्रेषित है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व कोलायत अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

135-36
12.4.2021
निर्णय व डिग्री की प्रति तहसीलदार कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत बीकानेर

Scanned with CamScanner